



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21112025-267893
CG-MH-E-21112025-267893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5140]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 21 नवंबर, 2025

का.आ. 5316(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में कानालूस - ओखा (देवभूमि द्वारका) बड़ी लाइन का दोहरीकरण (141.117 किमी.) की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में, ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रांत अधिकारी, द्वारका	द्वारका	देवभूमि द्वारका

2	प्रान्त अधिकारी, खंभालिया	खंभालिया	
3	प्रान्त अधिकारी, लालपुर	लालपुर	जामनगर

[फा. सं. E-693401]

राजेन्द्र कुमार मुख्य परियोजना प्रबंधक /सी

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, 21st November, 2025

S.O. 5316(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of "Kanalus – Okha (Devbhumi Dwarka) Doubling of Broad Gauge Line section (141.117 Km) in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project

TABLE

Sr No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prant Officer, Dwarka	Dwarka	Devbhumi Dwarka
2	Prant Officer, Khambhaliya	Khambhaliya	
3	Prant Officer, Lalpur	Lalpur	Jamnagar

[F. No. E-693401]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Managar /C